

# PAKUR NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संपत्ती कर की सूचना।

Memo No.: 410538161118043613  
Date : 16-11-2018  
प्रभावी : 1 2017-2018

श्री/श्रीमती/सुश्री ZEBa IKBAL S/O MENJUR ALAM,  
मोहल्ला ANNAPURNA COLONY PAKUR , 7004792704  
PAKUR , 816107

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0100000305000M0 वार्ड सं. 10 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	33.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		33.00



Zeba Eghad r

To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, PAKUR NAGAR PARISHAD Website, [www.pakurnagarparishad.net](http://www.pakurnagarparishad.net) पर वर्द्धित है।
2. नियमावली कंडिका 11.4 के अंतर्गत में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। शिवायत ही जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से रहित पावे।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष में लिए सम्पूर्ण भूति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय भूति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं पुष्यया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से संधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य वास्तव था जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित राशि (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. PAKUR NAGAR PARISHAD द्वारा संबंधित इस सम्पत्ति कर इन इमारतीघाटों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मलिकों / टाउलकर को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होल्डिंग नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विनिश्चित संरचनाओं की कमी के अन्तर्गत मना जाएगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print